बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0 संख्या–भवन/11/आरोप(विद्युत)–65/2025......................../ पटना, दिनांक–

:: अधिसूचना ::

विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक–1724 दिनांक–08.10.2025 द्वारा श्री प्रणव कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल, दरभंगा के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन संबंधी मामले में दर्ज प्राथमिकी (F.I.R) की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु के रूप में संलग्न Information Report में श्री प्रणव कुमार द्वारा भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से लगभग ₹1,59,52,032/– का अप्रत्यानुपातिक धनार्जन करने का मामला प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होने का उल्लेख करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के धारा–13 (1) (b) r/w 13(2) r/w 12 के अन्तर्गत विशेष निगरानी थाना काण्ड संख्या–22/25 दिनांक–07.10.2025 दर्ज कर कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश पुलिस उपाधीक्षक को दिया गया है।

2. प्राप्त उक्त पत्र एवं F.I.R की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–10225 (भ0) दिनांक–14.11.2025 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक–11099(भ0) दिनांक–12.12.2025 द्वारा स्मारित किया गया है। किन्तु स्मारित करने के बावजूद भी श्री कुमार से स्पष्टीकरण अप्राप्त है।

3. अतः मामले की गम्भीरता को देखते हुए श्री प्रणव कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल, दरभंगा को **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–09 (1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।**

4. निलंबन अवधि में श्री प्रणव कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता का मुख्यालय, मुख्य अभियंता (निरूपण उपभाग) का कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संदर्भ में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/11/आरोप(विद्युत)–65/2025......................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

D//Sanjay Singh//Parsant Jee-2023//Adhisuchna. Adesh

ज्ञापांक–भवन/11/आरोप(विद्युत)–65/2025........................../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग /अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/अपर सचिव /सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता /सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/11/आरोप(विद्युत)–65/2025........................../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता (निरूपण उपभाग), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/11/आरोप(विद्युत)–65/2025........................../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–श्री प्रणव कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/11/आरोप(विद्युत)–65/2025 81 (वि)......./ पटना, दिनांक 5/1/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/1/26
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D//Sanjay Singh//Parsant Jee-2023//Adhisuchna. Adesh